FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) नावां मुकाम.................

हेमाराम बनाम हीरा वगैरा

किस्म मुकदमा पैमा० आदि नं. 50/18 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/2/18	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिछपालराम सिंवर ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 26/2/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) नावां	
26/2/18	प्रार्थी वकील उप० / विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त होकर शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील के अनु०। प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों की पैमाइश करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का पैमाइश आवेदन स्वीकार किया जाकर पैमाइश आदेश किया जावे। अत: प्रार्थी का पैमाइश आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार डीडवाना को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश किया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी भू अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की पैमाइश मौके पर करवाकर मौका रिपोर्ट, पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो पत्रावली फैसला शुमार हो दर्ज रजिस्टर के बाद दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) नावां	

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 2018 / 261 दिनांक 27/2/18

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. श्री हेमाराम पुत्र प्रहलादराम वगैरा 2 जाति जाट निवासी नागोणा तला, कानोड तह. गिडा जिला बाडमेर		1. श्री हीराराम पुत्र आदुराम वगैरा 3 जाति जाट निवासी नागोणा तला, कानोड तह. गिडा जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 50/18

आदेश

मौजा नागोणा तला पटवार हल्का कानोड के खेत खसरा नम्बर 781/504, 501 रकबा क्रमशः 40.10, 00.08 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिडा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थीगण व खातेदारी खेतों का सीमाज्ञान कर, पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा आवश्यकता होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिडा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(हेतराम ब्लीलान)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक 27/2/18

क्रमांक / वाद / 2018 / 262 to 266
प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिडा।
2. पटवारी हल्का कानोड को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री हेमाराम पुत्र प्रहलादराम वगैरा 2।
4. विप्रार्थीगण श्री हीराराम पुत्र आदुराम वगैरा 3।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, गिडा।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Scanned by CamScanner